

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या- 125/2017-18

—: आदेश :—

नुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
07/6/18	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता रथु महतो, पिता-स्व0 उत्तम महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-दुपरा, टोला बारसाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-दुपरा, थाना नं0-140 के खाता सं0-156, प्लॉट नं0-1237,1238, रकवा 0.14 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 481/भू0सु0, दिनांक 08.09.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 214 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान बीजु महतो के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता एवं क्रेता दोनो ग्राम-दुपरा, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के निवासी है। 3. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के कुर्मी (महतो) हैं जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते है। 4. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 3.50 एकड़ भूमि शेष बचता है, एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 5. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है, जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या-05/01 में मंगल महतो दीगर के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2011-12 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म गोड़ा-III है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-दुपरा, थाना नं0-140 के खाता सं0-156, प्लॉट नं0-1237,1238, रकवा 0.14 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी प्रेषक.

सेवा में.

अनुमण्डल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-354788 दिनांक 03.05.2017 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-520936 दिनांक 05.06.2018 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता रथु महतो, पिता-स्व० उत्तम महतो, जाति- कुर्मी (महतो), ग्राम-दुपरा, टोला बारसाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को मौजा-दुपरा, थाना नं०-140 के खाता सं०-156, प्लॉट नं०-1237,1238, रकबा 0.14 एकड़ भूमि को विक्रेता दस्तावेज में प्लॉट का रकबा अंकित करें तदनुसार क्रेता श्रीमती सुनीता देवी, पति-ठाकुर दास महतो, जाति-कुर्मी (महतो), ग्राम- दुपरा, टोला बारसाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


11/07/18